उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-670/2021/4349/41-2021/11 बजट-के0यो0/2019

लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2021

संख्या-479/आई/102838/41-1099/81/2021-11 बजट-के0यो0/2019

लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-4674/पी०डी0/गोवर्धन/144 दिनांक 16-11-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रासाद योजना के अन्तर्गत् गोवर्धन के समेकित पर्यटन विकास योजना हेतु कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को देय जी0एस0टी0 की धनराशि विषयक शासनादेश संख्या-479 / आई / 102838 / 411099 / 81 / 2021-11बजट-के०यो०/2019 लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर 2021 द्वारा जी0एस0 टी0 की धनराशि रू0-19651170.58 वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0- 44 के लेखाशीर्ष-545 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109 - प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन-24 - वृहत निर्माण कार्य के नामे स्वीकृत किये गये थे परन्तु उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिर्फ धनराशि रू0-19651170.00 प्राविधानित है । अतः शासनादेश संख्या-479 / आई / 102838 / 411099 / 81 / 2021-11बजट-के०यो0 / 2019 लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को संशोधित करते हुये के रू0-19651170.00 की धनराशि का संशोधित शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

2. अतः महानिदेशक पर्यटन के अनुरोध क्रम में शासनादेश संख्या-479 / आई / 102838 / 41-1099 / 81 / 2021-11बजट के०यो०/2019 लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के प्रस्तर -2 में अंकित धनराशि रू0-19651170.58 को एतद्द्वारा राउण्ड आफ कर प्रतिस्थापित करते हुये रू0-19651170.00 (रूपये एक करोड छियानवे लाख इक्यावन हजार एक सौ सत्तर मात्र) अंकित किया जाता है ।

3 तद्नुसार शासनादेश संख्या -479 / आई / 102838 / 411099 / 81 / 2021-11बजट- के०यो0 / 2019 लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है । शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

<u>संख्या-670/2021/4349/41-2021/11 बजट-के0यो0/2019 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4- मण्डलायुक्त आगरा मण्डल।
5- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ
6- जिलाधिकारी मथुरा।
7- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2/7 उ0प्र0 शासन।
10- उप निदेशक पर्यटन आगरा मण्डल।
11- मुख्य कोषाधिकारी मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।